



# उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

## Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक/Ref. No. : 3070.....

दिनांक/Date : 7.3.2019.....

॥ कार्यालय ज्ञाप ॥

**विषय:-** आयोग द्वारा संचालित की जाने वाले हिंदी एवं अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षाओं के सम्पादन के लिए दिशा निर्देश।

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह 'ग' के कई पदों के लिए आशुलेखन परीक्षाओं का आयोजन समय-समय पर किया जाता है। वर्तमान तक इन परीक्षाओं के लिए सुस्पष्ट दिशा निर्देश तैयार नहीं किये गये थे। अब आयोग द्वारा विषय विशेषज्ञों के परामर्श से हिंदी एवं अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षण के लिए स्वतः स्पष्ट दिशा निर्देश तैयार किये गये हैं। इन दिशा निर्देशों की एक प्रति संलग्न है जिसे सभी अभ्यर्थियों के उपयोगार्थ आयोग की वेबसाइट [www.sssc.uk.gov.in](http://www.sssc.uk.gov.in) पर प्रकाशित किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोपरि।

आज्ञा से,

  
(संतोष बडोनी)  
सचिव।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. परीक्षा नियंत्रक, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग।
2. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को आयोग वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

  
(संतोष बडोनी)  
सचिव।

उत्कृष्टता

पारदर्शिता

वस्तुनिष्ठता

राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय परिसर, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड Office Campus of State Election Commission, Ring Road, Ladpur, Dehradun, Uttarakhand  
दूरभाष (कार्यालय): 0135-2669658, फैक्स: 0135-2672902, वेबसाइट: [www.sssc.uk.gov.in](http://www.sssc.uk.gov.in), ईमेल: [chayanayog@gmail.com](mailto:chayanayog@gmail.com)

हिन्दी आशुलेखन परीक्षा हेतु दिशा निर्देश

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में समय-समय पर आयोजित की जाने वाली हिंदी आशुलिपि परीक्षाओं हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया व निर्देश लागू रहेंगे-

- आशुलेखन परीक्षा (डिक्टेसन) की समयावधि 05 मिनट की होगी, जिसकी विषय वस्तु 400 शब्दों की होगी। आशुलेखन परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को एक मिनट का ट्रायल डिक्टेसन दिया जायेगा।
- आशुलिपि परीक्षा में उपलब्ध करायी गई स्टेनो नोटपैड पर अभ्यर्थी द्वारा आशुलिपि में ही लिखना है। लांगहैंड में डिक्टेसन लिखने पर अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त हो जाएगी।
- आशुलिपि परीक्षा में 80 शब्द प्रति मिनट की अर्ह गति (क्वालिफाइंग) परीक्षा के लिए 05 मिनट में 400 शब्दों की डिक्टेसन मौखिक अथवा ऑडियो सिस्टम के माध्यम से बोली जाएगी। डिक्टेसन को पढ़ने के लिए 05 मिनट एवं उस विषय-वस्तु का कम्प्यूटर पर लिप्यांतरण या प्रतिलेखन हेतु 12 श0प्र0मि0 की दर से 35 मिनट दिये जाएंगे। यह लिप्यांतरण आयोग द्वारा तैयार किया गया कम्प्यूटर साफ्टवेयर पर होगा, जो 35 मिनट के उपरान्त स्वतः बन्द हो जायेगा।
- यह साफ्टवेयर हिन्दी टंकण के लिए Kruti Dev 10 Font फान्ट में रहेगा। साफ्टवेयर में कापी, पेस्ट व इनसर्ट द्वारा सिम्बल प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। अभ्यर्थी सिम्बल बनाने के लिए 'शार्टकट-की' का प्रयोग कर सकते हैं एवं पैराग्राफ बनाने के लिए 'टैब-की' व 'इन्टर-की' का उपयोग कर सकते हैं। साफ्टवेयर पर टंकण कार्य करने पर माऊस कार्य नहीं करेगा। यदि कोई शब्द जो पूर्व में लिखा गया हो, को संशोधित करना चाहता है तो वह की-बोर्ड में उपलब्ध "Arrow Key"के माध्यम से उस शब्द तक पहुंच कर संशोधित कर सकता है।
- डिक्टेसन में बोले गये 400 शब्दों के 5 प्रतिशत अर्थात् 20 शब्द से अधिक अशुद्धियां होने पर परीक्षार्थी आशुलिपि परीक्षा में अनर्ह हो जाएगा।

आशुलेखन परीक्षा में प्रतिलेखन अशुद्धियों की गिनती निम्न प्रकार की जाएगी-

पूर्ण अशुद्धियां-

- प्रत्येक शब्द या अंक को छोड़ना या जोड़ना।
- किसी शब्द या अंक के स्थान पर दूसरा शब्द या अंक लिखना।
- शब्दों का आगे-पीछे होना या शब्दों की पुनरावृत्ति।
- वास्तविक एक शब्द के स्थान पर एक या अधिक शब्द लिखने पर भी अशुद्धि एक ही मानी जाएगी। जैसे किया "जाए" को किया "जा सकता है"।



क्रमशः—(02)

आंशिक अशुद्धियां-

- वर्तनी की अशुद्धि, कौमा, पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक चिह्न का गलत प्रयोग पर 1/4 अशुद्धि मानी जाएगी।
- बिन्दु वाले शब्दों में बिन्दु न लगाने पर या अनुस्वार (बिन्दी) का गलत प्रयोग पर 1/4 अशुद्धि मानी जाएगी।

अशुद्धियों की गणना इस प्रकार की जायेगी-

कुल अशुद्धियां = पूर्ण अशुद्धियां + आंशिक अशुद्धियां

4

  
(संतोष बडोनी)  
सचिव।

(अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा हेतु दिशा निर्देश)

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में समय-समय पर आयोजित की जाने वाली अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षाओं हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया व निर्देश लागू रहेंगे-

- आशुलेखन परीक्षा (डिक्टेशन) की समयावधि 05 मिनट की होगी, जिसकी विषय वस्तु 400 शब्दों की होगी। आशुलेखन परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को एक मिनट का ट्रायल डिक्टेशन दिया जायेगा।
- आशुलिपि परीक्षा में उपलब्ध करायी गई स्टेनो नोटपैड पर अभ्यर्थी द्वारा आशुलिपि में ही लिखना है। लांगहैंड में डिक्टेशन लिखने पर अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त हो जाएगी।
- आशुलिपि परीक्षा में 80 शब्द प्रति मिनट की अर्ह गति (Qualifying Speed) परीक्षा के लिए 05 मिनट में 400 शब्दों की डिक्टेशन मौखिक अथवा ऑडिया सिस्टम के माध्यम से बोली जाएगी। डिक्टेशन को पढ़ने के लिए 05 मिनट एवं उस विषय-वस्तु का कम्प्यूटर पर लिप्यांतरण या प्रतिलेखन हेतु 12 श0प्र0मि0 की दर से 35 मिनट दिये जाएंगे। यह लिप्यांतरण आयोग द्वारा तैयार किया गया कम्प्यूटर साफ्टवेयर पर होगा, जो 35 मिनट के उपरान्त स्वतः बन्द हो जायेगा।
- यह साफ्टवेयर अंग्रेजी टंकण के लिए Times and Roman फान्ट में रहेगा। साफ्टवेयर में कापी, पेस्ट करने की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। पैराग्राफ बनाने के लिए 'टैब-की' व 'इन्टर-की' का उपयोग कर सकते हैं। साफ्टवेयर पर टंकण कार्य करने पर माऊस कार्य नहीं करेगा। परीक्षार्थी को यदि कोई शब्द जो पूर्व में लिखा गया हो, को संशोधित करना चाहता है तो वह की-बोर्ड में उपलब्ध "Arrow Key" के माध्यम से उस शब्द तक पहुंच कर संशोधित कर सकता है।
- डिक्टेशन में बोले गये 400 शब्दों के 5 प्रतिशत अर्थात् 20 शब्द से अधिक अशुद्धियां होने पर परीक्षार्थी आशुलिपि परीक्षा में अनर्ह हो जाएगा।

आशुलेखन परीक्षा में प्रतिलेखन अशुद्धियों की गिनती निम्नप्रकार की जाएगी-

पूर्ण अशुद्धियां-

- प्रत्येक शब्द या अंक को छोड़ना या जोड़ना। (Omission and addition of any word or figure)
- वर्तनी की अशुद्धि (Spelling Mistake)
- किसी शब्द या अंक के स्थान पर दूसरा शब्द या अंक लिखना। (Substitution of any other word or figure)
- शब्दों को आगे-पीछे लिखना। (Transposition of words)

2/

क्रमशः—(02)

आंशिक अशुद्धियां-

- कौमा,(cooma) पूर्णविराम (Full Stop) या प्रश्नवाचक चिह्न(Question mark) का गलत प्रयोग पर 1/4 अशुद्धि मानी जाएगी।
- एकवचन के स्थान पर बहुवचन व बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग पर 1/4 अशुद्धि मानी जाएगी। (using singular for plural noun and vice versa)
- संज्ञा व वाक्य प्रारम्भ करने में पहला अक्षर कैपीटल लैटर में न लिखने पर 1/4 अशुद्धि मानी जाएगी। (Improper use of Capital letters for Noun and beginning of the sentence).

अशुद्धियों की गणना इस प्रकार की जायेगी-

कुल अशुद्धियां = पूर्ण अशुद्धियां + आंशिक अशुद्धियां

4

24  
(संतोष बडोनी)  
सचिव।